न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौडगढ

. पीठासीन अधिकारी :– प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 41/20219 ई.रे. दिनांक 23.12.2025

1. मोहनलाल पिता चुना रेगर निवासी बान्सी तहसील बड़ीसादड़ी
2. रामचन्द्र पिता चुना रेगर निवासी बान्सी तहसील बड़ीसादड़ी
3. लालीबाई पिता चुना रेगर निवासी बान्सी तहसील बड़ीसादड़ी

– प्रार्थीगण

बनाम

1. रामेश्वरलाल पिता खुमा रेगर निवासी बान्सी तहसील बड़ीसादड़ी
2. मनोहरलाल पिता खुमा रेगर निवासी बान्सी तहसील बड़ीसादड़ी
3. लक्ष्मण पिता नारायण रेगर निवासी बान्सी तहसील बड़ीसादड़ी
4. सन्तोष पिता नारायण रेगर निवासी बान्सी तहसील बड़ीसादड़ी
5. मांगीबाई पुत्री देवीलाल पत्नी जमना लाल रेगर निवासी बान्सी तहसील बड़ीसादड़ी
6. राज. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी
7. उपपंजीयक पंजीयन कार्यालय बड़ीसादड़ी

–अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अंर्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थित– श्री अनिल सोनावा वकील प्रार्थीगण
श्री डी.के. वैष्णव वकील विपक्षी नं. 5

–:: आदेश::–

प्रार्थीगण की ओर सें प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि –

1. प्रार्थीगण ने उक्त उनवान का एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, आर.टी.एक्ट का श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जो ठोस तथ्यों पर आधारित होने से निश्चित ही प्रार्थीगण के हक में निर्णित होगा किन्तु प्रकरण के निस्तारण में समय लगने की संभावन है इससिये यह प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा पृथक पेश किया जा रहा है।
2. आराजी खाता संख्या 377 की आराजी खसरा नम्बर 1069 रकबा 0.6100 है. लगानी 20 रूपया 13 पैसा आ. नं. 1070 रकबा 0.2400 है. लगानी 4 रूपया 56 पैसा, आ. नं. 1072 रकबा 0.1400 है. लगानी 2 रूपया 66 पैसा आ. नं. 1073 रकबा 0.0600 है.गे.मु. चाह कुल किता 4 कुल रकबा 1.0500 है. कुल लगानी 27 रूपया 35 पैसा भूमि मौजा बान्सी पटवार सर्कल बान्सी तहसील बडीसादड़ी में स्थित है।
3. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजीयात को इस प्रार्थना पत्र में सुविधा की दृष्टी से वादग्रस्त आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया जावेगा।
4. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात के पूर्व साबिक नम्बर 803/1/2, 803/2, 804, 805 है. उक्त भूमि प्रार्थीगण एवं सह खातेदार नारायण एवं हिम्मतलाल के पिता चुनीया पिता वगता बोला के नाम की खातेदारी थी उक्त भूमि प्रार्थीगण एवं सह खातेदार नारायण एवं हिम्मतलाल के पिता चुनीया जी की स्वअर्जित सम्पत्ति है उक्त सम्पत्ति चुनीया जी ने अपने जीवन काल में अपनी मेहनत एवं मजदुरी से प्राप्त आय से खरीदी थी चुनीया जी के देहान्त के बाद प्रार्थीगण एवं सह खातेदार नारायण एवं हिम्मतलाल को विरासत से प्राप्त हुई उक्त भूमि पर प्रार्थीगण एवं सह खातेदार नारायण एवं हिम्मतलाल आज भी बहेसियत खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है उक्त भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:23:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

कभी भी पुश्तैनी पैतृक नही रही चुकि उक्त भूमि चुनीया जी के स्वामित्व की है तथा साबिक आराजी नम्बर 805 की भूमि खातेदार मोहन सिंह पिता दोलत सिंह राजपूत की खातेदारी थी जिसको प्रार्थीगण एवं सह खातेदार नारायण एवं हिम्मतलाल के पिता ने खरीद किया जिसका नामान्तरण संख्या 204 से मोहन सिंह पिता दोलत सिंह के बजाय प्रार्थीगण एवं सह खातेदार नारायण एवं हिम्मतलाल के पिता चुनीया पिता वगता रेगर के नाम पर दर्ज रिकोर्ड हुई जो सम्वत् 2018 से 2021 की जमाबन्दी में खाता संख्या 323 की नकल से स्पष्ट होता है तथा अन्य आराजी भी प्रार्थीगण एवं सह खातेदार नारायण एवं हिम्मतलाल के पिता चुनीया जी की स्वअर्जित सम्पति है जिससे विपक्षीगण का कोई सम्बन्ध व सरोहकार नही है।

5. विपक्षीगण कमांक 1 से 5 ने मिलाभगत करके प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजी को गलत तरीके से अपने नाम पर दर्ज करा कर उसमें 1/3 हिस्सा प्रार्थीगण एवं सह खातेदार नारायण एवं हिम्मतलाल का संयुक्त 1/3 हिस्सा विपक्षी कंमाक 1 से 4 का 1/3 हिस्सा विपक्षी कंमाक 5 का नाम दर्ज करा दिया। जबकि उक्त भूमि कभी भी पुश्तैनी पैतृक नही थी फिर भी विपक्षीगण ने षडयंत्रपूर्वक कुट रचना करके प्रार्थीगण को बहला फुसला करके इनके नाम पर करवा दी जबकी प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 मे वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण एवं सह खातेदार नारायण एंव हिम्मतलाल के पिता की स्वअर्जित सम्पति है। जिससे प्रार्थीगण एवं सह खातेदार नारायण एवं हिम्मतलाल प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजीयात की खातेदारी की घोषणा अपने नाम पर कराने के कानूनन अधिकारी है। तथा विपक्षी कमांक 1 से लगायात् 5 का नाम विलोपित कराने के अधिकारी है।

6. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजीयात मे प्रतिवादी कंमाक 1 लगायत 5 का नाम गलत तरिके के राजस्व में दर्ज होने से वे उक्त भूमि पर जबरन अवैध कब्जा करने की कोशिश करते है तथा उपरोक्त आराजीयात को हस्तानान्तरित करने की धमकिया देते है।

7. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण के साथ विपक्षीगण का नाम संयुक्त गलत तरिके से दर्ज होने से विपक्षीगण वादग्रस्त आराजीयात के हिस्सा विशिष्ट भू भाग को रहन बय बक्षिश या अन्य तरिके से अन्तरित करने पर आमादा है इसलिये विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की वे प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजीयात के किसी भी भू भाग को जरिये रहन, बय बक्षिश या अन्य तरिके से अन्तरित नही करे ना करावे मौके एवं राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनाये रखें।

8. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण एवं सह खातेदार नारायण एवं हिम्मतलाल के पिता की स्वअर्जित सम्पति है उक्त आराजी पुश्तैनी नही है वर्तमान में उक्त आराजी प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के शामलाती खातेदारी में दर्ज है जबकि उक्त भूमि से विपक्षीगण का कोई सम्बन्ध व सरोहकार नही है। प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है उक्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी है इसलिये प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में ही है। विपक्षीगण वादग्रस्त आराजीयात को गलत तरीके से अपने नाम पर करवा कर उसको विकय करने पर आमादा है यदि विपक्षीगण वादग्रस्त आराजीयात के हिस्सा विशिष्ट भू भाग को विकय करने में सफल हो जावेगें तो प्रार्थीगण को अन्य व्यक्तियों के विरूद्व व्यर्थ की मुकदमेबाजी करनी पड़ेगी इसलिये अपूर्णीय क्षति का सिद्वान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में है इसलिये विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना है कि विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे की वे मुलवाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजीयात को रहन बय, बक्षीश कर हस्तान्तरित नही करे ... तथा ... अपने आराजीयात का शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे तथा राजस्व अभिलेख ... यथास्थिति बनाये रखें।

वकील विपक्षी को जवाब के कई अवसर दिये गये ... नहीं करने पर जवाब बंद किया गया

वकील उभयपक्ष की बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु विधि के तीन बिन्दुओं को प्रमाणित करना होता है:-

1– प्रथम दृष्टया मामला

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:23:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

2– सुविधा का संतुलन
3– अपूरणीय क्षति

1– **प्रथम दृष्टया मामला**

पत्रावली पर प्रस्तुत अभिवचनों व दस्तावेजो से यह प्रमाणित होता है कि वाद ग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के सहखातेदारी मे दर्ज है । वर्तमान में उक्त आराजी प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के शामलाती खातेदारी में दर्ज है जबकि उक्त भूमि से विपक्षीगण का कोई सम्बन्ध व सरोहकार नही है। प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है उक्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी है इसलिये प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में ही है। विपक्षीगण वादग्रस्त आराजीयात को गलत तरीके से अपने नाम पर करवा कर उसको विक्रय करने पर आमादा है जिस कारण अप्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया आवश्यक है विपक्षी प्रार्थी को मौके से बेदखल करने पर आमादा है । इस आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है।

2. सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :–

चूंकि वाद ग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के सहखातेदारी मे दर्ज है । जिससे प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टिया केश प्रमाणित है । तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है यदि विपक्षी को जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो विपक्षी वादग्रस्त आराजीयात को हस्तान्तरीत करने में सफल हो जावेगें जिससे अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में है अतः सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। तीनो ही तात्विक बिन्दुओं को प्रार्थीगण साबित करने में सफल रहे है।

–:निर्णयः–

पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वाद ग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के सहखातेदारी मे दर्ज है । वर्तमान में उक्त आराजी प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के शामलाती खातेदारी में दर्ज है जबकि उक्त भूमि से विपक्षीगण का कोई सम्बन्ध व सरोहकार नही है। प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है उक्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी है इसलिये प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में ही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 (प्र.सं. 41/2019) आर.टी.एक्ट. को स्वीकार किया जाता है। पत्रावली की आदेशिका दिनांक 15.11.2019 के अनुसार विपक्षीगण मौजा बांसी पटवार हल्का बांसी की आराजी नं. 1069, 1070, 1072, 1073 कुल किता 4 कुल रकबा 1.0500 हैक्ट. भूमि के विशिष्ट भू भाग का हस्तान्तरण नहीं करे। राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। इस हेतु विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है। पत्रावली को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है ।

यह आदेश आज दिनांक 23.12.2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर बड़ीसादड़ी • बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़) • सत्यमेव जयते

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:23:37 IST
Reason: SelfAttested